

## समाचार प्रकाष्णनार्थरू.

कालिका माता उद्यान में आज प्रातः 9 बजे होगा सूर्य नमस्कार रतलाम 21 जनवरी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पतंजलि योग समितिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट रतलाम के तत्वाधान में 22 जनवरी षनिवार को प्रातः 09:00 बजे श्री कालिका माता उद्यान में पतंजलि अश्टांग योग सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया जिसमें नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित नागरिक कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए सम्मिलित होंगे। बोहरा बाखल में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरों का आयोजन नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 47,21 लाख व जलकर 10,59 लाख की बकाया राष्ट्रीय जमा कराई।

रतलाम 21 जनवरी। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण ए जलकर ए दुकान ए गुमटी किराया ए लायसेंस बुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्ट तथा भूभाटक की बकाया राष्ट्रीय जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3,28,822 ए व जलकर 54,850 ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1,62,575 ए व जलकर 34,520 ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3,02,013 ए व जलकर 63,450 ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1,85,292 ए व जलकर 1,19,720 ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3,20,857 ए व जलकर 62,950 ए तिरुपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1,28,977 ए व जलकर 28,870 ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर

2ए16ए000ए. व जलकर 14ए000ए. इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600ए. व जलकर 1ए04ए640ए. कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206ए. व जलकर 1ए21ए090ए. प्रियदर्शनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000ए. व जलकर 47ए000ए. डॉंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422ए. व जलकर 83ए700ए. हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500ए. व जलकर 27ए540ए. कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ए. व जलकर 40ए240ए. राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ए. व जलकर 31ए760ए. काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ए. व जलकर 72ए440ए. वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534ए. व जलकर 37ए465ए. कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732ए. व जलकर 36ए660ए. दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ए. व जलकर 92ए125ए. की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरुए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28

फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

खुले में गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना  
मास्क नहीं लगाने पर 18 व्यक्तियों पर जुर्माना  
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें  
गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं ए मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 21 जनवरी को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर तस्लीम लोकेन्द्र भवन रोडए वसीमए ओमप्रकाषए दीपक षर्मा षक्ति नगर पर 500. 500 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाई दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 18 व्यक्तियों पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाई दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीए सिंह मोण्ड नं 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण्ड नं 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्डनं 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्डनं 8770535145ए श्री

विराट मेहरा 9770326691 ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नं 7000128812 ए  
आकाष बिन्दे मोण्नं 9424075393 ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नं 6268449110 ए  
राकेश ललावत मोण्नं 7000128812 को देकर नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग  
प्रदान करें।

ज्वान पालकों को अपने ज्वान कराना होगा रजिस्ट्रेषन

2 से अधिक ज्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 21 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ज्वान पालते हैं उन्हे अब अपने ज्वान का रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ज्वान पालकों द्वारा अपने ज्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ज्वान की भाँति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ज्वानों एवं ज्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

ज्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ज्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000 ए. एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500 ए. प्रति ज्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100 ए. रूपये जमा कराना होगा। ज्वान पालकों को अधिकतम् 2 ज्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ज्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ज्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ज्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

वार्ड 29 के 6 सफाई मित्रों का एक दिवस का वेतन काटा

## बिना सूचना कर्तव्य स्थल से थे अनुपस्थित

रतलाम 21 दिसम्बर । सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 29 में 6 सफाई मित्रों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

21 जनवरी षुक्रवार को सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 29 में संजना मुकेषए राजेष खांडेगिरीए सुनीता राजेषए मोहित गोपालए बंटी डागर व नितिन कमल द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

8168 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 21 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाएँ इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत

21 जनवरी षुक्रवार तक 8168 पेंषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 79439 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

21 जनवरी को 77 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 21 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर घर से पृथक पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले सूखे कचरे व सड़कों व नाले नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टैंग चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा

रहा है जिसके तहत 21 जनवरी षुक्रवार को 77 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टैंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

21 जनवरी षुक्रवार को डम्पर से 23370ए टैंकटर से 17415ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 19385 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17285 इस तरह कुल 77458 किलो कचरा जुलवानिया टैंचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2905 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए  
स्वरोजगार ऋण से 92 हितग्राही हुए लाभान्वित  
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिखी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु 2558 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 10ए0000ए तथा द्वितीय कार्यषील पूँजी हेतु 190 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 20ए0000ए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 92 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है। पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

### 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राष्टि होगी वसूल

रतलाम 21 जनवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राष्टि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राष्टि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

### नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 21 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों दुकानदारों व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिष्ठित कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिष्ठित कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए

गलीए सार्वजनिक स्थलए नालेनालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्ड में गंदगीए कचरे के ढेरए नालेनालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्ड की समुचित साफसफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफसफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारधर्मसंघिण्डहेमन्त॑२१०१२०२२न्पाणिगमए रतलाम॑